# निदेशालय
# महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :– 0141–2612591, फैक्स : 0141–2612592, ई–मेल : ssolrajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक : गृरमु/क.कोष/2021–22/ 31418-55 दिनांक : 17-11-21

:: आदेश ::

दिनांक 03.09.2021 को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुरा, बेगस, जयपुर में राज्य स्तरीय विभागीय कल्याण निधि समिति गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका कार्यवाही विवरण क्रमांक 24909–70 दिनांक 20.09.2021 को विभाग के समस्त कार्यालय को भिजवाया गया था।

निम्न पारित निर्णय स्पष्ट आदेश निम्नानुसार पारित किये जाते है।

1. गृह रक्षा स्वयं सेवको की नियोजन अवधि के दौरान मृत्यु होने पर स्वयं सेवक के द्वारा मनोनीत आश्रित पारिवारिक सदस्य को पूर्व में दी जा रही राशि रूपये 2.00 लाख के स्थान पर बढाकर राशि रूपये 3.00 लाख किया जाता है। इसी प्रकार से गृह रक्षा स्वयं सेवक, जिनको विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का नियोजन नही किया गया है। उनकी मृत्यु होने पर स्वयं सेवक के द्वारा मनोनीत आश्रित पारिवारिक सदस्य को पूर्व में दी जा रही राशि रूपये 1.50 लाख के स्थान पर बढाकर राशि रूपये 2.50 किया जाता है।
2. ड्यूटी के दौरान नियोजित गृह रक्षा स्वयं सेवको के दुर्घटना/बीमार होने पर राज्य सरकार से अनुमोदित चिकित्सालयों से ईलाज करवाने पर चिकित्सा पुनर्भरण राशि के अतिरिक्त आपातकालीन परिस्थितियों में अन्य चिकित्सालयों से ईलाज करवाने पर राजस्थान (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 के अन्तर्गत चिकित्सा बिलो के पुनर्भरण का भुगतान कल्याण निधि कोष से किया जावेगा। साथ निदेशालय के पूर्व आदेश क्रमांक 21602–98 दिनांक 20.05.2012 को निरस्त किया जाता है।

**उपरोक्त आदेश दिनांक 20.09.2021 से प्रभावशील होगे।**

(यू.आर. साहू)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
गृह रक्षा राजस्थान
जयपुर।

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
3. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

(संदीप सत्य प्रकाश शर्मा)
उपमहासमादेष्टा,
(सचिव कल्याण कोष)
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।